

जारी हुए
की तारीख

3/2/21

पतावली वाले कोर्ट के लिए पेशा हुआ है।
 मुकामा के तथ्य संक्षेप में इस मुकामा
 है कि प्रतिवादी 1 अपील की ओर है
 एक अपील पर कोर्ट के कोर्ट के
 निपट-11 CPC का इस आदेश का
 पेशा किया कि वारी के द्वारा अनरजिस्टर्ड
 प्रकरण नामा के आधार पर वाद
 पत्र पेश किया है जिसकी अवन्यायिता
 माननीय न्यायालय के प्राप्त नहीं है।
 इस लिए वारी का वाद पत्र खारिज
 किया जाये योग्य है। वारी/अपील
 अधिनियम के अन्तर्गत में कोर्ट तथ्यो
 को दोहराते हुए निवेदन किया कि
 धारा 92A का भी एफ्ट के तहत
 न्यायालय को एवापी निषेधाज्ञा जारी
 करे का कोर्ट को अधिकार प्राप्त है।
 उभयपक्षों को बहस सुनने के
 पश्चात् पतावली का अधोपान्त अवलोकन
 किया गया। यहां पर राजस्व न्यायालय
 की नौमाधिकारी के संबंध में विधि
 का अवलोकन करे तो राजस्व न्यायालय
 में एक आवेदन प्रेषित ही वाद
 प्रस्तुत कर सकता है। वारी वाद
 वारिष्ठ भूमि का प्रेषण नहीं है।
 यहां एक अनरजिस्टर्ड बन्दाग नाम से
 वारी का वाद वारिष्ठ भूमि पर एक
 व अधिका उल्लंघन लेने का प्रेषण है।
 तो एक आवेदन प्रेषित अपनी के
 कोर्ट का अन्तरण धारा-41 राजस्व
 के तहत रजिस्टर्ड प्रेषण पत्र के माध्यम
 से ही कर सकता है। यहां पर
 प्रकरण नामा रजिस्टर्ड नहीं है। इस

Handwritten mark



सद्विधि साकशाह
तारीख
कालिका कि मकतु
प्रहसन नं

हकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

एकार वादी को कोर्ट तक बंधाविका
वाद बर्णित भूमि पर नहीं छाव डेप
है। वादी का वाद संविदा पर कायारित
है, जिसका अनुतोष लिक्वि न्यायालय
प्रदान कर सकता है। शिष्टोपाय
काश्तकारी हाथिनिपम २००७ के तहत
ऐसे वादों की सुनवाई राजस न्यायालय
को बर्णित करती है। परिणाम स्वरूप
एतिवादी/अर्धी को भोटे सुवृत
अर्धीना पुन अन्तर्गत आदेश-३, निपमा
CPC स्वीकार किया जाकर वादी
का वाद खारिज किया जाता है।
तदनुसार पंचा डिली जारी हो
गिणीप सुनया गपा पलावली फैसल
सुमा होका वाद तलमाल दाखिल
दफतर है।



उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बुन्दी(राज0)

डिकरी व मुकदमे इस्तादाई

Judi/Civii
Part IV-10

(भात २० कल ७-७ आबसा पीधानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उप खण्ड आधिकारी तालेडा मुकाम

जज श्री कमल कुमार मीना ए.एस.

नाम उन्नाठ पुरत पर दाफित है

दावा बाबत अपरा-१२८, १८८ कार.पी.एक्ट

मुकदमा नं २४/२०२०/२०२० सन

यह मुकदमा आज वास्तं इनफिसाल कतई रूबरू

व हाजत श्री नन्द सिंह ए.एस. मिनजानिव मुद्दई व श्री ब्रजमोहन गोतम ए.एस.
मिनजानिव मुद्दयलह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व डिकरी दे जाती है कि

प्राप्ती पर अन्तति आदेश-२ नियम-११ CPC
द्वीकार किया जाकर वकील का वाद खारिज
किया जाता है।

नाम मुबलिंग बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय मुद् व शरह फौसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख वसलयावा तक को अदा करें।

वसन्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख १३ माह ०२ २०२१



दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा तालेडा जिला बुन्दी (राज०)

मुद्द	रुममा	पै	मुद्दयलहाह.	रूपया	पै
स्टाम अजी दावा			स्टाम वकालतनामा		
स्टाम वकालतनामा			स्टाम अजी		
स्टाम घजर सनूत			महजताना वकालत पर		
महजताना वकालत			खर्चा मामाहान		
खर्चा गवाहान			फौसदी कमिशनर		
फौसदी कमिशनर			बाबत इतरापुदमनामा		
बाबत इतरापुदमनामा			मूलफरिफ		
मूलफरिफ					
मोजान					

नोट-इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर मुकदमे के लिए देना पड़ेगा, जो नही दर्ज करना चाहिये।

खडनवान

संजय कुमार का. मोहन लाल जाति महु
~~निवासी~~ ग्राम डाबी तह. तालेड़ा जिला बुन्दी

खनाम

--- वादा

1. मांगी लाल का. नाथू लाल जाति बजंरा निवासी
ग्राम डाबी तह. तालेड़ा जिला बुन्दी
2. पटवारी पटवार हलफा डाबी तहसील तालेड़ा
3. राजस्थान राज्य जमी तहसीलदार, तह. तालेड़ा

--- प्रतिवादीगण



उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बुन्दी(राज०)